सत्यमेव जयते

THE

JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

4 Aasadh, 1942 (*S*)

No. 292

Ranchi, Thursday, 25th June, 2020

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. 17/2020 – State Tax

S.O. No. 40, Dated- 25th June, 2020 :- In exercise of the powers conferred by sub-section (6D) of section 25 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the provisions of sub-section (6B) or sub-section (6C) of the said Act shall not apply to a person who is not a citizen of India or to a class of persons other than the following class of persons, namely:–

(a) Individual;

(b) authorised signatory of all types;

(c) Managing and Authorised partner; and

(d) Karta of an Hindu undivided family.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 1st day of April, 2020.

[File No. VaKar / GST / 01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Vandana Dadel,
Secretary, Commercial Taxes Department

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सूचना सं. 17/2020-राज्य कर

एस. ओ. सं. 40, दिनांक- 25 जून, 2020 :- झारखंड सरकार, झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 25 की उपधारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित करती है कि उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध वह व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, और निम्नलिखित व्यक्तियों के वर्ग, से भिन्न व्यक्तियों के वर्ग पर लागू नहीं होंगे अर्थात्:-

(क) व्यष्टि;

(ख) सभी प्रकार के प्रधिकृत हस्ताक्षरकर्ता;

(ग) प्रबंध और प्राधिकृत भागीदार; और

(घ) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से लागू मानी जायेगी।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी०/01/2020]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सचिव, वाणिज्य-कर विभाग

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 292 -- 50